

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 92/16

संस्थित दिनांक-04.03.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

राजू पुत्र गेंदालाल बाथम उम्र 30 साल  
निवासी मंगलेश्वर रोड लधेडी अखण्ड की  
बगिया किला गेट ग्वालियर

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 27.12.16 को घोषित}**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 337 तीप काउण्ट के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 25.01.16 को करीब 2:00 बजे छीमका मंदिर के पास भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0-07 सी0बी0-0516 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी राकेशपाल की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर राकेशपाल, श्रीमती यमुना पाल तथा अनीतापाल को साधारण उपहति कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी राकेश पाल दिनांक 25.01.16 को अपनी पत्नी अनीता व बहू यमुनापाल के साथ मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा एसप्लैण्डर क0 एम0पी0-07 एम0ओ0 4745 से ग्राम छीमका ससुराल में साले विजेन्द्र की तबियत खराब होने से मिलने जा रहा था। छीमका मंदिर के पास भिण्ड ग्वालियर हाईवे पर लगभग दो बजे पहुंचा तभी पीछे से एक बेगनार गाडी एम0पी0-07 सी0बी0-0516 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे गिरने के कारण फरियादी को ठोड़ी, दोनों हाथों के पंजे व घुटनों में छिलन आई, पत्नी अनीता व यमुना को भी चोटें आई। सोनू तोमर ने उठाया, इसके बाद एम्बुलेंस से गोहद अस्पताल गए वहां पर देहाती नालिसी लेख कराई गयी। उक्त दिनांक को ही देहाती नालिसी के आधार पर अप0क्र0-23/16 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.01.16 को करीब 2:00 बजे छीमका मंदिर के पास भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0-07 सी0बी0-0516 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या उक्त दिनांक, समय पर राकेशपाल, श्रीमती यमुना पाल तथा अनीतापाल को कोई चोटें मौजूद थीं ?

3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादी की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर राकेशपाल, श्रीमती यमुना पाल तथा अनीतापाल को उपहति कारित की ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

5 अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 1, राकेशपाल अ0सा0 2 यमुना देवी अ0सा0 3, सुधीर शर्मा अ0सा0 4, चेताराम अ0सा0 5, एस0डी0 मिश्रा अ0सा0 6, सोनू तोमर अ0सा0 7, रामकरण शर्मा अ0सा0 8 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

**// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 //**

6. प्रकरण में फरियादी राकेशपाल अ0सा0 2 यह कथन करते हैं कि घटना दिनांक 25 जनवरी 2016 की दोपहर करीब 2 बजे की है। वे ग्वालियर से अपनी ससुराल ग्राम छीमका में अपनी पत्नी व छोटे भाई की बहू यमुना के साथ मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा एसप्लेण्डर से आ रहे थे। ग्राम छीमका की तरफ हाथ का इशारा देकर रोड के दूसरी तरफ मुड़कर आ गए थे कि पीछे से आ रही बैंगेनार गाडी के द्वारा उनकी मोटरसाईकिल में पीछे से टक्कर मारना बताते हैं। टक्कर से स्वयं उन्हें, पत्नी अनीता व बहू यमुना को चोटें आना बताते हैं। मौके पर 108 एम्बुलेंस आने और उन्हें अस्पताल गोहद लाने के संबंध में कथन करते हुए देहाती नालिसी प्र0पी0 4 व नक्शामौका प्र0पी0 5 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। आहत यमुना अ0सा0 3 यह कथन करती हैं कि घटना दिनांक 25.01.16 की दोपहर दो ढाई बजे की है। वे ग्वालियर से छीमका मोटरसाईकिल से जा रही थी जिसे उनके जेट राकेश चला रहे थे, जिठानी बीच में बैठी थी और स्वयं साक्षी पीछे बैठी थी। छीमका के पास उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार देने के संबंध में कथन करती हैं। यह साक्षी उसके सिर व हाथ में चोट आना बताती है, अनीता व जेट को भी चोट आना बताती है।

7. प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी सोनू तोमर अ0सा0 7 अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं करता है। जबकि आहत अनीता की मृत्यु बाद में हो जाने के कारण साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं की जा सकी। प्रकरण में साक्षी एस0डी0 मिश्रा अ0सा0 6 यह कथन करते हैं कि दिनांक 25.01.16 को वे गोहद चौराहे थाने में वे एसआई के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को सूचना से अस्पताल गोहद में देहाती नालिसी 0/16 फरियादी राकेश के बताए अनुसार लेख की थी। उक्त देहाती नालिसी प्र0पी0 4 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साथ ही फरियादी की निशांदाही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0 5 बनाए जाने का भी कथन करते हैं। डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 25.01.16 को वे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे उक्त दिनांक को आहत राकेशपाल, यमुनापाल एवं श्रीमती अनीता के आरक्षक नं0 1046 राघवेन्द्र शर्मा द्वारा लाए जाने पर चिकित्सीय परीक्षण में आहत राकेश को एक खरोंच ठोड़ी पर व एक खरोंच बांयी कलाई पर पाई गई थी। आहत यमुना को चिकित्सीय परीक्षण करने पर कटा फटा घाव सिर में पैराइटल रीजन पर पाया था जिसमें खून निकल रहा था तथा दाहिनी कोहनी पर सूजन मौजूद थी। आहत अनीता को बाएं हिप ज्वाइंट (कमर जोड़) सूजन पाई थी तथा एक कटा फटा घाव जीभ में आगे की ओर पाया था।

8. प्रकरण में आहतगण के परीक्षण करने पर चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 1 लगायत 3 तैयार करने के संबंध में डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 1 कथन करते हैं। आहतगण को एकसरे परीक्षण करने पर कोई अस्थिभंग न पाए जाने तथा आहतगण की चोटें सख्त व भौथरी वस्तु से परीक्षण अवधि से 6 घण्टे के भीतर आने के संबंध में अपनी सुसंगत राय देते हैं। प्र0पी0 1 लगायत 3 के चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन में आहतगण के चिकित्सीय परीक्षण का समय दोपहर 2:10 से 2:40 बजे तक का लेख किया गया है। साक्षी राकेश अ0सा0 2 तथा यमुना अ0सा0 3 द्वारा घटना का समय दोपहर करीब 2 बजे का बताया है। देहाती नालिसी प्र0पी0 4 में भी घटना का समय करीब दोपहर 2 बजे का लेख कराया गया है। उक्त समय से चिकित्सक द्वारा प्रदान किया गया अभिमत के द्वारा आहतगण को आई चोटों की संपुष्टि हो रही है। अभियुक्त की ओर से भी आहतगण राकेश व यमुना तथा चिकित्सक डा0 धीरज गुप्ता आहतगण को आई चोटें गाड़ी के फिसलने से कारित होने के संबंध में सुझाव दिया गया है। इस प्रकार से उक्त सुझाव के रूप में स्वयं घटना दिनांक को सुसंगत समय पर आहतगण के शरीर पर मौजूद चोटें दुर्घटना जनित कारित होने के संबंध में समर्थन होता है। प्र0पी0 1 लगायत 3 की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधि0 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर कारवार के सामान्य अनुक्रम में निष्पादित होने से उक्त अधिनियम की धारा 114 ड के अधीन सम्यक रूप से निष्पादित किए जाने के संबंध में न्यायालय को उपधारणा करने का सुसंगत आधार बनाती है। अतः यह प्रमाणित है कि दिनांक 25.01.16 को आहतगण के शरीर पर चोटें मौजूद थीं। अब इस तथ्य का विवेचन करना है कि क्या अभियुक्त के कृत्य से वे चोटें कारित हुईं ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 3 //

9. तथ्यों व साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

10. फरियादी राकेश पाल अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे मोटरसाईकिल पर अपनी पत्नी अनीता व बहू यमुना के साथ ग्राम छीमका जा रहे थे और ग्राम छीमका की तरफ हाथ का इशारा करके मुड़कर रोड की दूसरी तरफ आ गए थे लेकिन पीछे से आ रही बेगेनार गाडी तेजी व लापरवाही से आई और उनकी मोटरसाईकिल में पीछे से टक्कर मार दी जिससे उन्हें, पत्नी अनीता व बहू यमुना को चोटें आई थीं। कथित बेगेनार गाडी का नंबर एम0पी0-07 सी0बी0-0516 बताते हैं। टक्कर के बाद उनकी गाडी-मोटरसाईकिल गिर जाने और बेगेनार कार के मौके पर रुक जाने का कथन करते हैं। साक्षी यमुना अ0सा0 3 भी उनकी मोटरसाईकिल में पीछे से टक्कर होने का कथन करती हैं। यद्यपि वे कथित गाडी व उसके चालक को न देख पाना बताती हैं। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही कर सूचक प्रश्नों में कथित बेगेनार नंबर एम0पी0-07 सी0बी0-0516 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाए जाने के संबंध में सुझाव से इंकार करती हैं। किन्तु प्रतिपरीक्षण में उनकी मोटरसाईकिल फिसलकर गिर जाने से इंकार करती हैं।

11. प्रकरण में अभियोजन का साक्षी सोनू अ0सा0 7 अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता है और सूचक प्रश्नों में भी उसके पूर्वतन कथन प्र0पी0 13 के विनिर्दिष्ट भाग लिखाए जाने से इंकार करता है। प्रकरण में आहत अनीता की मृत्यु हो जाने से परीक्षित नहीं की जा सकी। अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया है कि रंजिश के कारण उसे फंसाया गया है। प्रकरण में फरियादी राकेश अ0सा0 2 से एवं आहत यमुना अ0सा0 3 से अभियुक्त की किस बात की रंजिश थी इस संबंध में कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्त की ओर से यह सुझाव प्रतिपरीक्षण में दिया गया कि स्वयं फरियादी बिना अगल बगल देखे सीधे गाडी एक दम से मोड़ दी थी। इस प्रकार से घटना में कथित बेगेनार नंबर एम0पी0-07 सी0बी0-0516 की संलिप्तता के संबंध में चुनौती नहीं दी गयी है। जहां तक प्रकरण में आहत यमुनादेवी अ0सा0 3 के कथन का प्रश्न है तो यद्यपि साक्षी पक्षद्रोही हो गयी है फिर भी वह जितना अभियोजन के मामले का समर्थन करती है, उसके संबंध में उसकी साक्ष्य चुनौती विहीन हैं। उसकी साक्ष्य में मोटरसाईकिल में पीछे से टक्कर मारने के संबंध में तथ्यों को प्रकट किया है और प्रतिपरीक्षण में रोड कास करते समय फिसलने से दुर्घटना होने से इंकार किया है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी की साक्ष्य भी न्यायदृष्टांत **खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी विरुद्ध म0प्र0 राज्य ए0आई0आर0-1991 एस0सी0-1853** में प्रतिपादित न्याय सिद्धांत कि किसी साक्षी के पक्षद्रोही हो जाने से उसकी संपूर्ण साक्ष्य वाश आउट नहीं हो जाती है, के प्रकाश में दुर्घटना के संबंध में संपुष्टकारी साक्ष्य है।



12. अनुसंधानकर्ता एस0डी0 मिश्रा अ0सा0 6 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्होंने घटना दिनांक 25.01.16 को घटनास्थल से बेगेनार कार नंबर एम0पी0-07 सी0बी0-0516 को जब्त किया था और जब्ती पत्रक प्र0पी0 11 बनाए जाने जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अभिकथित घटना में फरियादी राकेश अ0सा0 2 द्वारा उक्त बेगेनार की संलिप्तता का कथन किया है जिसके समर्थन में घटनास्थल पर उक्त वाहन के जब्त किए जाने के संबंध में अनुसंधानकर्ता द्वारा जो कथन किया गया है उसे प्रतिपरीक्षण में भी कोई चुनौती नहीं दी गयी है। अतः वह अखण्डनीय रूप से प्रमाणित है। इस संबंध में फरियादी राकेश अ0सा0 2 के कथनों की पुष्टि के रूप में हैं कि कथित वाहन बेगेनार घटना में लिप्त थी।

13. प्रकरण में उक्त वाहन की संलिप्तता के संबंध में मैकेनिकल जांचकर्ता साक्षी रामकरण शर्मा अ0सा0 8 का कथन भी अवलोकनीय है जिसमें उनके द्वारा दिनांक 27.01.16 को थाना गोहद चौराहा पर जब्तशुदा उक्त वाहन बेगेनार नंबर एम0पी0-07 सी0बी0-0516 की मैकेनिकल जांच किए जाने पर उक्त वाहन के क्लीनर साईड की हैड लाईट क्षतिग्रस्त होने और सामने की साईड में बंपर पिचका होने तथा कांच भी क्षतिग्रस्त होने के संबंध में कथन करते हैं। साथ ही वाहन के सभी सिस्टम सही काम करना बताते हैं। प्रकरण में मैकेनिकल जांचकर्ता रामकरण के इस कथन को भी चुनौती नहीं दी गयी कि कथित वाहन में कोई टूटफूट नहीं थी। फरियादी राकेश अ0सा0 2 के कथन जिसका समर्थन देहाती नालिसी प्र0पी0 4 के द्वारा होने प्र0पी0 11 के जब्ती पत्रक द्वारा अनुसंधानकर्ता एस0डी0 मिश्रा अ0सा0 6 का उक्त वाहन का घटनास्थल से जब्त होना तथा वाहन में क्लीनर साईड का बंपर पिचका, हैड लाईट क्षतिग्रस्त व कांच क्षतिग्रस्त होने संबंधी रामकरण अ0सा0 8 का कथन सुसंगत श्रृंखला के रूप में यह तथ्य प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त है कि घटना दिनांक को उक्त बेगेनार नंबर एम0पी0-07 सी0बी0-0516 के चालक द्वारा फरियादी राकेश अ0सा0 2 की मोटरसाईकिल में पीछे से टक्कर उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से मार दी गयी।

14. प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा अभिकथित वाहन चलाया जा रहा था इस संबंध में किसी आहत या स्वतंत्र साक्षी द्वारा कथन नहीं किया गया है। प्रकरण में कथित वाहन बेगेनार नंबर एम0पी0-07 सी0बी0-0516 का स्वामी प्रमाणीकरण साक्षी के रूप में अभियोजन की ओर से सुधीर शर्मा अ0सा0 4 को परीक्षित कराया गया जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 25.01.16 को उनके प्राचार्य के0एस0 सेंगर के यहां लडकी की सगाई थी जिसमें उनकी गाडी ग्वालियर से जसवंत नगर जा रही थी। उक्त गाडी को उनका चालक राजू बाथम (अभियुक्त) चला रहा था। यह भी कथन करते हैं कि अभियुक्त ने जसवंत नगर जाते समय छीमका के पास एकसीडेंट कर दिया था। जिसके संबंध में पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा उन्हें धारा 133 एम0व्ही0 एक्ट का नोटिस दिया जाना बताते हुए यह कथन करते हैं कि उक्त नोटिस में ए से ए भाग पर उनके

हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उन्होंने अभियुक्त द्वारा वाहन चलाने के संबंध में प्रमाणीकरण प्र0पी0 8 दिया था जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साक्षी यद्यपि एकसीडेंट उनके सामने न होना प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं और स्वतः कथन करते हैं कि चालक ने बताया था कि एकसीडेंट छीमका के पास हो गया है। साक्षी सुधीर अ0सा0 4 का उक्त कथन अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के संबंध में महत्वपूर्ण हैं। साथ ही प्र0पी0 7 के नोटिस व प्र0पी0 8 के प्रमाणीकरण जिसे साक्षी द्वारा स्वयं लेख किया गया है, उसके खण्डन हेतु कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्त की ओर से अपने अभियुक्त परीक्षण धारा 313 में स्वयं साक्षी सुधीर द्वारा गाड़ी चलाए जाने का कथन किया है किन्तु उक्त तथ्य के संबंध में कोई भी सारवान आधार अभिलेख पर नहीं हैं और न ही स्वयं साक्षी सुधीर अ0सा0 4 को इस संबंध में कोई भी सुझाव दिया गया कि वे ही कथित गाड़ी को चला रहे थे। ऐसे में अभियुक्त का मामला अभियोजन युक्तियुक्त से प्रमाणित करने में सफल रहा है।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279, 337 (तीन काउण्ट) का आरोप प्रमाणित है कि उसने दिनांक 25.01.16 को करीब 2:00 बजे छीमका मंदिर के पास भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0-07 सी0बी0-0516 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी राकेशपाल की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर राकेशपाल, श्रीमती यमुना पाल तथा अनीतापाल को साधारण उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279 एवं 337 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

16. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उसे अभिरक्षा में लिया जावे।

17. वर्तमान में सार्वजनिक मार्गों पर उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक वाहन चलाए जाने से तेजी से दुर्घटनाएं बढ रही हैं। इस प्रकरण में भी घटना में तीन आहतगण को चोटें कारित हुई हैं। ऐसी दशा में प्रकरण में परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

18. अभियुक्त की परिपक्व आयु को देखते हुए व अभियुक्त के वाहन चालक के रूप में उसके परिवार का भरणपोषण किए जाने के संबंध में आधार दर्शित किया है। प्रकरण के निराकरण में कोई सारवान विलंब कारित नहीं हुआ है ऐसी दशा में मात्र शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं हैं। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 337 का अपराध संहिता की धारा 71 के प्रकाश में एक ही संव्यवहार के भाग के रूप में होने से प्रथक प्रथक दण्ड से दण्डित किए जाने की आवश्यकता नहीं हैं। अतः उक्त प्रावधान के प्रकाश में संहिता की धारा 279 के अधीन अभियुक्त को 6 माह के साधारण कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

19. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि कुछ नहीं।

20. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन बेगेनार क्रमांक एम0पी0-07 सी0बी0-0516 उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश